

मोबाइल शोरूम पर चोरों का धावा, एक घंटे में सवा करोड़ के मोबाइल चोरी

चोरों ने चौकीदार को बेसमेंट में बंद किया, सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई

अजमेर, (कास)। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के वैशाली नगर में सैमसंग मोबाइल शोरूम पर चोरों का धावा बोल दिया। चोर करीब एक घंटे में एक करोड़ से अधिक के कीमती मोबाइल व एसेसरीज चोरी की फरार हो गए। कार में आए तीन लुटेरों ने बेसमेंट में सो रहे चौकीदार को बंद किया और शोरूम में घुसकर वारदात अंजाम दी। चोर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी चुरा ले गए। बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की यह वारदात कैद हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है।



सीसीटीवी फुटेज में तीन युवक प्लास्टिक के बैग में मोबाइल भरकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

गए थे। कुछ देर बाद ही चोर शोरूम के बाहर पहुंचे और पहले रेकी की, फिर बेसमेंट में सो रहे चौकीदार को बाहर से बंद कर दिया और शोरूम

का शटर तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने थैलियों में कीमती मोबाइल फोन व अन्य कीमती सामान भरकर चोरी कर गाड़ी में बैठ कर फरार हो गए।

मंगलवार सुबह जब चौकीदार ने शोरूम के ताले टूटे देखे तो उसने मालिक को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को मामले की

जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। शोरूम के मालिक आशीष जैन के अनुसार, चोरी गप मोबाइल और अन्य सामान की सही कीमत चेक करने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन शुरुआती अनुमान के मुताबिक, यह रकम सवा करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है।

सीसीटीवी फुटेज कैद वारदात :- चोरों की यह कारस्तानी बेसमेंट में लगे कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में तीन युवक प्लास्टिक के बैग में मोबाइल भरकर अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने शोरूम सहित आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जांच के आधार पर चोरों की आने-जाने की पहचान करने में जुट गई है।

चौकीदार को बेसमेंट में किया बंद :- फॉरसागर रोड निवासी आशीष जैन ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल का शोरूम तीन दोस्तों ने पार्टनशिप में तीन माह पहले ही खोला था। बीती रात 12 बजे के करीब वह अपने दो दोस्तों के साथ शोरूम बंद करके घर

किशोरी से दुष्कर्म, प्रसव में नवजात की मौत

श्रीगंगानगर, (निर्स)। 13 साल की एक किशोरी दुष्कर्म से गर्भवती हो गई। अब वह 14 साल की है। उसका एक अस्पताल में प्रसव हुआ तो इस घटना का परिहार को पता चला। हालांकि नवजात की प्रसव के दौरान मौत हो गई। पीड़िता ने पुलिस को दिए पचास बयान में एक अज्ञात युवक पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। इसके बाद लालगढ़ जाटान पुलिस ने अज्ञात युवक पर दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित किशोरी को 8 फरवरी को एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

अज्ञात युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ

वहां उसका 9 फरवरी को प्रसव करवाया गया। लालगढ़ जाटान थानाधिकारी संजय सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को दिए पचास बयान में लेने के बाद पुलिस द्वारा शिनाख्तागी परेड भी करवाई जाएगी। इसके अलावा डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा। डीएनए मेच, मजिस्ट्रेट बयान, कॉल डिटेल आदि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी।

आग से 10 किलोमीटर का वन क्षेत्र जलकर राख

सात-आठ घंटे में पाया आग पर काबू, पांच गांव के 250 किसान आग बुझाने में जुटे



मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास किये।

पावटा, (निर्स)। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के वन विभाग नाका बैजनाथपुर, टोडा लड़ी, गुडा, बैरकी के वन जंगल क्षेत्र में अचानक आग लग जाने से लगभग 350 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आ गया।

जीएसएस अध्यक्ष सीदान फ़ागना ने बताया कि आग की लपेट देख आसपास के पांच गांव के 250 किसान आग बुझाने के लिए जंगल की ओर भागे और फायर ब्रिगेड और वन विभाग को सूचना दी। आग लगने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम व फायर ब्रिगेड तत्काल घटनास्थल पर रवाना हो गई। फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों में तीन गाड़ियां ही घटनास्थल पर पहुंच पाई। पहाड़ी इलाका व जंगल क्षेत्र रहने से

पहाड़ी इलाका व जंगल क्षेत्र रहने से दमकल की तीन गाड़ियां जंगल में फंस गईं

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लाखों की वन संपत्ति जल गई है

तीन गाड़ियां जंगल में फंस गईं। इसके चलते किसानों ने अपने हाथों में पेड़ टहनी और छड़ी लेकर मिट्टी व पानी

डालकर विभाग की टीम के साथ 7 से 8 घंटे में आग पर काबू पाया।

वन इलाके क्षेत्र में आग से बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। हालांकि सूखी घास और जंगल में फैली जंगली वनस्पतियों के कारण आग को काबू करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लाखों की वन संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान के साथ ही इस आग में जंगल में रहने वाले रंगने वाले जीव-जंतु और पक्षियों के घोंसले भी नष्ट हो गए हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस आग से हुए नुकसान का आकलन बाद में किया जाएगा।

प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है अब तक 72 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अनुज्ञाधारियों के विश्वास व उत्साह के मद्देनजर पुरानी मदिरा दुकानों के लिए नवीनीकरण की अंतिम तिथि 12 फरवरी तक संभवतया 90 प्रतिशत से

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

विशिष्ट लोक अभियोजक ने 62 दस्तावेज और 26 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कराये

भीलवाड़ा, (निर्स)। विशिष्ट न्यायाधीश (पाँसो एक) देवेन्द्रसिंह नगर ने पन्द्रह साल की नाबालिग लड़की से गैरेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 90 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपित के दो नाबालिग साथियों के खिलाफ बाल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

प्रकरण के अनुसार, एक परिवार को 20 मार्च 2023 को रायला थाने में रिपोर्ट पेश की थी कि 18 मार्च को उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी वह काफी देर बाद भी नहीं लौटी। इसके चलते बेटी की तलाश की तो कहीं पता नहीं चला। अगले दिन सुबह चार बजे किसी परिचित का फोन आने पर पता चला कि उसकी पुत्री को पास के गांव के स्कूल में बंधक बनाकर रखा है। इस पर परिवारी तीन-चार लोगों के साथ



दुष्कर्म का आरोपी

वहाँ जाकर पुत्री को लेकर आया। वापस आने पर उसकी पुत्री ने बताया कि जब वह शौच करने गई तब दो लड़के जबरन उसे बाइक पर बैठाकर नदी की तरफ ले गये। जहाँ जबरन उसके साथ रेप किया। इसके बाद उन्होंने अपने एक

अन्य साथी को बुलाया। उसने भी नाबालिग के साथ रेप किया। इन आरोपितों ने नाबालिग को स्कूल में ले जाकर बांध दिया।

इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर दो बाल अपचारियों को डिटेन कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपित राजू गुणपाल कुमावत के खिलाफ न्यायालय में गैरेप के आरोप में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने 62 दस्तावेज और 26 गवाह पेश कर राजू पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित राजू कुमावत को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 90 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

12वीं के स्वयंपाठी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 15 से

सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की, आगामी 15 मार्च तक चलेंगी प्रायोगिक परीक्षाएं

अजमेर, (कास)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 15 फरवरी से 15 मार्च तक आयोजित होंगी। बोर्ड ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षाएं सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षाओं के लिए बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। आंतरिक परीक्षकों की

नियुक्ति केंद्राधीक्षक द्वारा अपने स्कूल के शिक्षकों में से की जाएगी। यदि आंतरिक परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी विषय में परीक्षा केंद्र स्कूल में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो नजदीकी स्कूलों के शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से प्रैक्टिकल आंसर बुक्स की आपूर्ति की जाएगी। परीक्षाओं के बाद केंद्र उन विद्यार्थियों के अंक अपलोड करेंगे। परीक्षार्थियों को अपनी पिछली मार्कशीट तथा

वर्तमान परीक्षा प्रवेश पत्र की प्रति के साथ अपने परीक्षा केंद्रों से संपर्क करना होगा। परीक्षा केंद्राधीक्षक उन सभी छात्रों की सूची कक्षावार तथा विषयवार तैयार करेंगे, जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। इधर बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय प्रायोगिक परीक्षाओं का समय पर पूरा होना, अंक अपलोड तथा प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं का क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त होना सुनिश्चित करेंगे।

विवाहिता का शव कुएं में तैरता मिला

महिला सोमवार से घर से लापता थी, परिजन तलाश कर रहे थे

बौली-बामनवास, (निर्स)। क्षेत्र के बाटोदा थाना अंतर्गत बिछोछ गांव के करीलकी के कुएं में मंगलवार को एक विवाहिता महिला का शव तैरता मिलने से सनसनी फैल गई और काफी संख्या में मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर रामसिंहपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को ग्रामीणों की मदद से कुएं से बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरनाला के मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक महिला की पहचान फोरेंसिक पत्नी रामावतार मीणा निवासी बिछोछ के रूप में हुई है।

रामसिंहपुरा चौकी प्रभारी किरौड़ीलाल मीणा ने बताया कि कुएं में महिला के शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे। तहकीकात करने पर

महिला का विवाह साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुआ था

मृतक महिला फोरेंसिक पत्नी रामावतार मीणा निवासी बिछोछ जो कि सोमवार से ही घर से लापता थी जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे। महिला का विवाह साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुआ था एवं उसका पति रामावतार मीणा जयपुर में प्राइवेट कंपनी में काम करता है। बाटोदा थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर मृतका फोरेंसिक भाई रामावतार मीणा निवासी रानुपुरा थाना सपोटार ने मामला दर्ज कराया है। शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी गई है।

विवाह के लिए गाड़ियों का कहना है कि लाखों की वन संपत्ति जल गई है

तीन गाड़ियां जंगल में फंस गईं। इसके चलते किसानों ने अपने हाथों में पेड़ टहनी और छड़ी लेकर मिट्टी व पानी

डालकर विभाग की टीम के साथ 7 से 8 घंटे में आग पर काबू पाया।

वन इलाके क्षेत्र में आग से बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। हालांकि सूखी घास और जंगल में फैली जंगली वनस्पतियों के कारण आग को काबू करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लाखों की वन संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान के साथ ही इस आग में जंगल में रहने वाले रंगने वाले जीव-जंतु और पक्षियों के घोंसले भी नष्ट हो गए हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस आग से हुए नुकसान का आकलन बाद में किया जाएगा।

उदयपुर, (निर्स)। राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों का बंदोबस्त पारदर्शिता व सरलीकृत व्यवस्था के साथ किया जा रहा है।

प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है अब तक 72 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अनुज्ञाधारियों के विश्वास व उत्साह के मद्देनजर पुरानी मदिरा दुकानों के लिए नवीनीकरण की अंतिम तिथि 12 फरवरी तक संभवतया 90 प्रतिशत से

अंतिम दिन 90 प्रतिशत से अधिक नवीनीकरण की संभावना

अधिक नवीनीकरण कर लिया जाएगा। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के अनुसार राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत पुरानी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत अनुज्ञाधारियों में खासा उत्साह है। प्रदेश में 7665 मदिरा दुकानों में से अब तक

5490 मदिरा दुकानों का नवीनीकरण करते हुए 72 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा पहली बार फरवरी माह में ही संभवतया मदिरा दुकानों के रिन्थुअल का 90 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मदिरा दुकानों के नवीनीकरण अथवा रिन्थुअल अंतिम दिन 12 फरवरी तक किया जाएगा। नवीनीकरण से शेष रही दुकानों का समूहवार ऑनलाइन नीलामी, ई-बिड द्वारा आवंटन का प्रावधान है।

मदिरा दुकानों का अब तक 72 प्रतिशत नवीनीकरण हुआ

मदिरा दुकानों का अब तक 72 प्रतिशत नवीनीकरण हुआ

राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2025-29, अनुज्ञाधारियों में उत्साह

जिस तरह परिवार में मतभेद हो जाते हैं, उसी तरह पार्टी में भी हो जाते हैं : खर्वा

पाली, (नि.सं.)। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबरसिंह खर्वा ने कहा कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है। जिस तरह परिवार में कई बार मतभेद होते जाते हैं, उसी तरह पार्टी में भी हो जाते हैं। यह पार्टी का निजी मामला है। मंत्री किरौड़ी लाल मीणा जवाब दे देंगे, उनका जवाब संतोषजनक होगा तो ठीक है, वरना पार्टी प्रदेशाध्यक्ष आगे की कार्रवाई करेंगे। मंत्री झाबरसिंह खर्वा ने मंगलवार को पाली के सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठीड द्वारा मंत्री किरौड़ीमल मीणा को अनुशासन हीनता के मामले में भेजे गए नोटिस से जुड़े सवाल पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि वे मंत्री मीणाजी से मिलेंगे, उनके मन में क्या है, बैठकर बताकर, उन्हें समझा लेंगे।

मंत्री ने कहा कि पाली अभी नगर निगम, भविष्य का पता नहीं पाली से संभाग का दर्जा छीन जाने के बाद पाली नगर निगम बना रहेगा या यह दर्जा भी पाली से छीन लिया जाएगा। इस सवाल के जवाब पर मंत्री खर्वा ने कहा कि वर्तमान में पाली निगम बना हुआ है। भविष्य में क्या होगा इसका पता नहीं। बजट से जुड़े सवाल पर कहा कि इस बार का बजट पिछले बजट से भी बेहतर होगा। इसके साथ ही उन्होंने बदहाल पड़ो निगम की रामासिया के निकट राजीव विहार आवासीय योजना, जले



नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबरसिंह खर्वा ने अधिकारियों के साथ चर्चा की।

हुए टाउन हॉल का जीर्णोद्धार करवाने, बंद पड़े सालिड वेस्ट प्लांट को जल्द शुरू करवाने, शहर में घूम रहे डॉग्स को पकड़ने के लिए कोई आसान तरीका निकालने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर मंत्री खर्वा ने जिलास्तरीय अधिकारियों की करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक बैठक ली। मंत्री खर्वा ने बताया कि बैठक में मोटे तौर पर कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें पाली को लेकर की गई बजट घोषणा की प्रगति के बारे में अधिकारियों से पूछा गया। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान में पाली जिले को लेकर निवेशकों से जो प्रस्ताव मिले थे, उनकी प्रगति को लेकर जानकारी ली। शहर की जनता की

शिकायतों को समयबद्ध अवधि में समाधान हो रहा है या नहीं, के अलावा शहर की सोवरेज और सफाई व्यवस्था में सुधार पर चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना में जिन लोगों के मकान खले हैं, उन्हें आवंटित करने और शेष कार्य को पूरा करवाने पर चर्चा की गई।

शहर परेशान है। शिकायत के बाद भी निगम समाधान नहीं करवा पा रहा है। इस पर मंत्री खर्वा ने निगम आयुक्त को बुलाया और जवाब मांगा। इस पर उन्होंने कहा कि सीवर लाइन की सफाई का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। संभवतः अगले एक महीने बाद स्थितियों में काफी सुधार होगा। एडवोकेट मगराज सोनी ने पाली को संभाग यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और पिछले एक महीने से भी ज्यादा चल रहे धरने के बारे में बताया। इसके साथ ही मंत्री खर्वा ने ज्ञापन सौंपे। मंत्री खर्वा को पाली विधायक भीमराज भाटी ने पाली-सोजत बाइपास

‘मंत्री किरौड़ी लाल मीणा जवाब दे देंगे, उनका जवाब संतोषजनक होगा तो ठीक है, वरना पार्टी प्रदेशाध्यक्ष आगे की कार्रवाई करेंगे’

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठीड द्वारा मंत्री किरौड़ीमल मीणा को अनुशासन हीनता के मामले में भेजे गए नोटिस से जुड़े सवाल पर खर्वा ने यह बात कही

बनाने को लेकर स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट के अफूरे पड़े होने की बात बताते हुए इसे पूरा करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि महज 8.2 का यह बाइपास है। इसके बनने से पाली शहर, खेतावास, भालेलाव, निम्बाड़ा, बागड़िया, बल्लों की ढाणी, सरदारों की ढाणी क्षेत्र के लोगों को भी फायदा होगा और सफर भी आसान होगा। लेकिन सालों बाद भी यह प्रोजेक्ट स्वीकृति के बाद भी पूरा नहीं हो सका है।

चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित चामुंडा माता मंदिर को देर रात चोरों ने बनाया निशाना। मंदिर से सोने-चांदी के जेवरत सहित लाखों रुपए नगदी चोरी हो गई। वहीं सीसीटीवी कैमरे तोड़ कर चोर फरार हो गये।

जानकारी के अनुसार हमीरगढ़ कस्बे में स्थित चामुंडा माता मंदिर के बीती देर रात अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। अलसुबह मंदिर

सीसीटीवी कैमरे तोड़ कर फरार हो गये चोर, पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू की

के पुजारी को पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफ एस एल टीम ने सबूत जुटाकर चोरों की तलाश शुरू की। ग्रामीणों को जब चोरी की सूचना मिली तो सेकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस की लचक गतत व्यवस्था और क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
ई-निविदा सूचना 01/2025
इस विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के Equipments/Chemicals/Glasswares and Plasticwares/Miscellaneous items क्रय करने के लिए सालाना वर अनुबन्ध हेतु मूल निर्माण कार्य से प्रस्ताव आमंत्रित है। I NB code SKA2425A0090 एवं UBN is SKA2425GLRC00125. SKA2425GLRC00126, SKA2425GLRC00127 विस्तृत विवरण वेबसाइट: www.raubikaner.org, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
होन.सं.ख.स.क.ई.24/11490 वित्त विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड सांचौर
एन.एच. 68, PHED Campus, सांचौर (जालौर)
Te.Ph.No. 02979-283624 E-mail: eephdscr@gmail.com
क्रमांक अ.अ./जन स्वा./सांचौर/निविदा/2024-25/1658 दिनांक-03.02.2025

ई-निविदा सूचना संख्या-20/2024-25
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से खण्ड सांचौर के अधीन विभिन्न कार्य करने हेतु लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विवरणनिम्नानुसार है-
कार्यालय का नाम व स्थान अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड सांचौर
निविदा का कार्य Construction And Commissioning of All Type of Tube Wells (Bhimguda, Choura, Daba, Jhab, Nimbra) in M/LA Constituency Sanchore Under C/M budget Announcement 2024-25. Providing, Laying and Jointing of HDPE pipeline of various sizes.
निविदा की कुल लागत (पंजीकृत) की संख्या 03.02.2025 से 18.02.2025 को 13.00 बजे तक
निविदा प्रत्य वेबसाइट पर उपलब्ध एवं ऑन लाईन सबमिशन की दिनांक 18.02.2025 को 16.00 बजे से
निविदाएं खोलने की तिथि व समय PHE2425WS0809102, PHE2425WS0809103 UBN NO: PHE2425WS0809102, PHE2425WS0809103
निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://dipr.rajasthan.gov.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। शुद्धि पत्र केवल वेबसाइट पर ही अपलोड किये जायेंगे।
(पृथ्वीसिंह) अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड सांचौर
DI/PR/C/1570/2025